न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/60/2021	2021/149	08.10.2021	19.02.2025

1. रामपाल पुत्र श्री रामबक्स शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम लालपुरा उप तहसील प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये उप–तहसीलदार प्रतापगढ जिला अलवर (राज0)

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध उप–तहसीलदार प्रतापगढ़
निर्णय दिनांक 11.06.2020 प्र.सं. 04/20

उपस्थितः–
01–श्री के.के. शर्मा —वकील अपी0
02–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 11.06.2020 जिसके द्वारा अपी0 को अतिक्रमी मानकर बेदखल किए जाने व अतिक्रमण को ध्वस्त किये जाने एंव अर्थदण्ड 50 रूपये से दण्डित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपी0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार प्रतापगढ जिला अलवर दिनांक 11.06.2020 प्रकरण सं. 4/2020 होने से प्रस्तुत प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार प्रतापगढ़ दिनांक 11.06.2020 प्रकरण सं. 4/2020 का हैं। जिसकी नकल तैयारी व राजकीय अवकाश के दिन मियाद में मुजरा देने से प्रस्तुत अपील अन्दर अवधि अदालत श्रीमान में पेश है। कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. एन.सी.आर.पी.बी. खंड अलवर के पत्र क्रमांक 20 दिनांक 27.05.2020 के अनुसार ग्राम प्रतापगढ कस्बे में एन.सी. आर.पी.बी. योजनान्तर्गत चल रहे कार्य पर अतिक्रमण हटवाने बाबत श्रीमान तहसीलदार साहब को निवेदन किया गया, जिसमें अतिक्रमी रामपाल पुत्र श्री रामबक्स शर्मा निवासी लालपुरा की पक्की दुकान 3.00 X 2.00 मीटर को हटाने का निवेदन किया गया। जिस पर एक रिपोर्ट अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अदालत उप तहसीलदार प्रतापगढ जिला अलवर राजस्थान में पेश की गई, जिस पर प्रकरण सं. 4/2020 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया गया और उक्त प्रकरण का आलोच्य निर्णय दिनांक 11.06.2020 से निस्तारण किया जाकर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किए जाने व अतिक्रमण को ध्वस्त किये जाने एंव अर्थदण्ड 50 रूपये से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश विधि विरुद्ध व बेजा तरीक पर पारित किए गए है।

अपीलान्ट को नोटिस आराजी खसरा नम्बर 801 रकबा 3.00 X 2.00 मीटर वाके ग्राम लालपुरा किस्म गैरमुमकिन सड़क पर अतिक्रमण बाबत जारी किया गया, जो

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

नोटिस कतई खिलाफ कानून, खिलाफ मौका हैं। जबकि नोटिस में वर्णित उक्त दुकान ग्राम पंचायत लालपुरा में निर्मित ग्राम पंचायत की दुकान 15 X 3 लम्बाई चौडाई की दुकान सन् 1994 से आबादी में बनी हुई हैं, सन् 1996 से मिन अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत से किराये पर ली हुई हैं, जिसमें दूध डेयरी व मिठाई व्यवसाय करता हैं, दुकान निर्मित होने के पश्चात कभी कोई अतिक्रमण बाबत कोई नोटिस आज तक अपीलान्ट को नहीं दिया गया है, पहली बार नोटिस दिया गया हैं। अपीलान्ट किरायेदार की हैसियत से काबिज रहकर अपना व्यवसाय कर रहा हैं, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा हैं। उक्त दुकान के अलावा अपीलान्ट के पास कोई आय का साधन नही है।

अपीलान्ट की दुकान के दोनों तरफ पंचायत की अन्य दुकानें निर्मित हैं, जिनमें अन्य किरायेदार काबिज हैं, जो दुकान गैरगुमकिन आबादी में स्थित हैं। आबादी की भूमि बाबत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कानूनी कार्यवाही नहीं चल सकती है। नोटिस की कार्यवाही निरस्त किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक था। मिन अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण/कब्जा नहीं है। मौके के खिलाफ बिना कोई पैमायश किये, अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की है। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जांच किए अपीलाण्ट के खिलाफ नोटिस जारी कर निर्णय पारित किया है। जो गलत एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आज तक अपीलान्ट को या ग्राम पंचायत को कोई नोटिस नही दिया हैं, अब नोटिस कुछ राजनैतिक प्रभावशाली लोगो के प्रभाव में आकर दिया गया हैं, जो कतई गलत व खिलाफ कानून हैं। अपीलान्ट के सामने विवादित नम्बर की कोई पैमायश नहीं की गई। मिन अपीलान्ट अतिक्रमी नही हैं, अपीलान्ट तो ग्राम पंचायत द्वारा किराये पर दी गई, दुकान पर किरायेदारी की हैसियत से काबिज हैं, जो अतिक्रमी की श्रेणी में नही आता हैं, क्योंकि दुकान अपीलान्ट ने निर्मित नहीं की हैं। अपीलान्ट की दुकान हाल आराजी खसरा नम्बर 999 गैरमुमकिन आबादी ग्राम पंचायत लालपुरा की मिलकियत में स्थित है। उक्त भूमि के बाद में वन विभाग की नर्सरी स्थित हैं, आबादी रकबे में 6 दुकाने बनी हुई हैं, जिनमें 5 दुकाने ग्राम पंचायत की हैं, तथा एक दुकान का पटटा ग्राम पंचायत ने मालीराम के पिता कल्याण सहाय खटीक के नाम से दिया हुआ हैं, जिसमें मालीराम की दुकान काफी पुरानी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में नोटिस अपीलान्ट को कतई गलत व बेजा परेशान करने की नियत से दिया गया है, नोटिस की कार्यवाही ड्रॉप किये जाने योग्य है।

मिन अपीलान्ट ने तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया गया। तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय मौके, कब्जे एवं राजस्व रिकार्ड के खिलाफ विधि विरूद्ध पारित किया है। मिन अपीलान्ट का कोई नाजायज कब्जा नही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई पैमायश नहीं की गई है। कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट तैयार की गई है। तहत अदालत ने कोई पैमायश नही करायी गई। इसलिए आलौच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय है। मिन अपीलान्ट तहत अदालत में उपस्थित होकर मौके की पैमायश कराने का निवेदन किया गया। लेकिन कोई पैमायश नहीं करायी गई। तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट को दस्तावेजी सबूत व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। और विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानों के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये, अपीलाधीन निर्णय पारित किया हैं। तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित किया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार प्रतापगढ जिला अलवर राज0 दिनांक 11.06.2020 प्रकरण सं. 4/2020 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपास्त फरमाया जावे, तथा अपीलान्ट को नोटिस अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के भार से मुक्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

रेस्पो0 की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुये निवेदन किया है, कि तहत अदालत उप–तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा अपी0 को अतिक्रमी मानते हुये अतिक्रमित रकबे से वेदखल कर प्रकरण में विधिवत निर्णय पारित किया गया है, प्रकरण में तहत अदालत द्वारा नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपी0 खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के पत्रांक एसपी 1/2020–21 दि0 05.06.2020 में बताया गया है कि नाले निर्माण एवं सड़क चौडाईकरण में ग्राम पंचायत लालपुरा की दुकानें टूटती हैं तो इसमें ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. एनसीआरपीबी खण्ड अलवर के पत्रांक 20 दि0 27.05.2020 के अनुसार तहसीलदार कार्यालय के नायब तहसीलदार प्रतापगढ़ व भू–अभिलेख निरीक्षक प्रतापगढ़ एवं हल्का पटवारी लालपुर आदि के द्वारा दिनांक 26.05.2020 को मौके पर पैमाईश की गयी, जिसमें रामपाल पुत्र श्री रामबक्श शर्मा द्वारा सड़क सीमा में अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा 3.00X2.00 मीटर सड़क सीमा पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर काबिज रहा है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के आधार पर अपी0 द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। अपी0 द्वारा उक्त राजकीय आराजी पर किया गया अनाधिकृत कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ का आदेश दिनांक 11.06.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)